एम०ए०सी०टी० प्रकरण क्रमांक-135/2024 रामअवतार बनाम रामधन यादव वगैरह

Witness No.--------**01**-----for----------**आवेदक साक्षी** --------------Deposition taken-----------

the---**12/05/2026**---day of----**मंगलवार**----Witness's apparent age------**38** वर्ष------------

States on affirmation---**शपथपूर्वक**-------my name is--------**रामावतार** -------------

S/o---------श्री बुधराम -------------------occupation----ठेकेदारी बालको प्लांट--------------------

address---**ग्राम गोडमा, चौकी रजगामार थाना बालको जिला कोरबा (छ०ग०)**--------

---

समय 03:35 बजे से — **आवेदक साक्षी क्रमांक- 01**

टीप- दिनांक 25.03.2026 को प्रकरण में आवेदक का आदेश 18 नियम 4 व्य०प्र०सं० के अंतर्गत मुख्य परीक्षण स्वरूप शपथपत्रीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कंडिका 01 से 04 है । साक्षी आज दिनांक 12.05.2026 को अधिकरण में उपस्थित है, जिसे शपथ दिलाकर परीक्षण प्रारंभ किया गया।

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री सत्यम चौहान अधिवक्ता वास्ते आवेदक-

05. मेरे द्वारा प्रकरण में थाना बालको जिला कोरबा के अपराध क्रमांक 554/24 अंतर्गत धारा 281, 125, 125बी BNS के संबंध में अंतिम प्रतिवेदन एवं दस्तावेजों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की गयी है । अंतिम प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति दो पन्नों में **प्रदर्श पी-01** है, प्रथम सूचना प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति तीन पन्नों में **प्रदर्श पी-02**, जप्ती पत्रक की सत्यापित प्रति **प्रदर्श पी-03 व 04**, मुलाहिजा रिपोर्ट की सत्यापित प्रति **प्रदर्श पी-05,** नजरी नक्शा की सत्यापित प्रति **प्रदर्श पी-06,** गिरफ्तारी पत्रक की सत्यापित प्रति **प्रदर्श पी-07**, इंदिरा गांधी चिकित्सालय कोरबा द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति **प्रदर्श पी-08 दो पन्नों में, बेडहेड टिकट** की सत्यापित प्रति **प्रदर्श पी-09 33** पन्नों में, मेरे आधार कार्ड की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न है । मुझे पात्रता अनुसार क्षतिपूर्ति राशि दिलायी जावे ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री आर०एन० राठौर अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्रमांक 02-

06. दुर्घटना के समय जिस मोटरसायकल पर मैं सवार था, उसे अमर सिंह चला रहा था । घटना के समय हम लोग बालको से अपने गांव गोडमा जा रहे थे । गोड़मा की ओर से आ र ही

वाहन से हम लोगों की टक्कर हुई थी । यह कहना सही है कि घटना के समय सामने से आने वाली वाहन सड़क पर अपनी बायीं दिशा से चल रही थी । यह कहना गलत है कि दुर्घटना होने के पश्चात सामने से आने वाली वाहन अपनी जगह पर रूक गई थी । यह कहना सही है कि सामने से आने वाली वाहन धीमी गति से चल रही थी । गवाह अब कहता है कि सामने से आ रही वाहन तेज गति से आ रही थी ।

07. यह कहना गलत है कि अमर सिंह वाहन मोटरसायकल को दुर्घटना के समय बहुत तेज गति से चला रहा था । यह कहना गलत है कि मैं और अमर सिंह दुर्घटना के समय हेलमेट नहीं पहले थे । यह कहना गलत है कि अमर सिंह के पास मोटरसायकल चलाने का लायसेंस नहीं है । यह कहना गलत है कि अमर सिंह के लापरवाही से एक्सीडेंट हुआ है ।

08. यह कहना सही है कि मेरा आयुष्मान कार्ड एवं स्मार्ट कार्ड बना है । यह कहना सही है कि उक्त कार्ड के अंतर्गत शासकीय व्यय पर ईलाज होता है । यह कहना गलत है कि दुर्घटना पश्चात मेरा ईलाज शासकीय व्यय पर हुआ है । यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-09 मात्र बेडहेड टिकट नहीं है । यह कहना सही है कि दुर्घटना पश्चात मैं मात्र दिनांक 18.10.2024 को इंदिरा गांधी चिकित्सालय में भर्ती रहकर ईलाज करवाया हूं । यह कहना सही है कि किम्स अस्पताल बिलासपुर में मेरा ईलाज 18.10.2024 से 27.10.2024 तक चला है । यह कहना सही है कि 27.10.2024 के पश्चात मेरा कोई ईलाज नहीं हुआ है । यह कहना सही है कि मैंने अपने ईलाज के संबंध में कोई व्यय का बिल प्रस्तुत नहीं किया है । यह कहना गलत है कि मेरे ईलाज में मेरा कोई व्यय नहीं हुआ है, इसी कारण मैंने कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया है ।

09. यह कहना गलत है कि दुर्घटना के पूर्व मैं कोई कार्य नही करता था और मेरी कोई आय नहीं थी । यह कहना सही है कि मैंने अपने कार्य एवं आय के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है । यह कहना गलत है कि मैं कोई कार्य नहीं करता था और मेरी कोई आय नहीं थी, इसी कारण मैंने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है ।

10. मैं कक्षा 5वीं तक पढ़ा हूं । मेरा मतदाता कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड बना है । यह कहना सही है कि मैंने उक्त दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है । यह कहना गलत है कि दुर्घटना के समय मैं 41 वर्ष का था । स्वतः कहा कि मैं 38 वर्ष का था । यह कहना गलत है कि क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये मैं अपनी उम्र कम होना बता रहा हूं । यह कहना

एम०ए०सी०टी० प्रकरण क्रमांक-135/2024 रामअवतार बनाम रामधन यादव वगैरह

गलत है कि दुर्घटना के कारण मुझे कोई आर्थिक क्षति कारित नहीं हुई है । यह कहना गलत है कि क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये झूठा कथन कर रहा हूं ।

समयः-03:55 बजे तक ।

साक्षी को बयान पढ़कर सुनाया गया । मेरे निर्देश में टंकित ।
साक्षी ने सही होना स्वीकार किया ।

सही/-
सीमा प्रताप चंद्रा
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण(एफ.टी.सी.)
कोरबा (छ०ग०)

सही/-
सीमा प्रताप चंद्रा
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण(एफ.टी.सी.)
कोरबा (छ०ग०)

सही/-
साक्षी का हस्ताक्षर